भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **5476**

दिनांक 25 जुलाई , 2019 / 3 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

**विमान-पट्टियों का विकास**

**5476. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेलंगाना, विशेषकर पेद्दापल्ली में छह विमान-पट्टियां विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तेलंगाना में नागर विमानन क्षेत्र की भारी मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) (श्री हरदीप सिंह पुरी )**

(क) और (ख) : राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 में क्षेत्रीय संपर्कता योजना आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत असेवित और अल्प-सेवित हवाईअड्डों/हवाईपट्टियों का पुनरुत्थान करते हुए क्षेत्रीय संपर्कता को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। तथापि, ऐसे हवाईअड्डों का पुनरुत्थान "मांग पर आधारित" है, जो एयरलाइन प्रचालकों की दृढ़ मांग तथा नीति में परिकल्पित विविध रियायतें प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की सहमति पर आधारित है। आरसीएस के अंतर्गत आयोजित बोली के तीन चरणों के दौरान, तेलंगाना में नागार्जुन सागर से उड़ान प्रचालन की मांग प्राप्त हुई है।

(ग) : तेलंगाना में नागर विमानन क्षेत्र की व्यापक माँग को पूरा करने के लिए, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय ने 07.10.2016 को कोठगुदेम, जिला खम्मम, तेलंगाना में ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु मैसर्स तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसीएल) को 'साइट क्लियरेंस' का अनुमोदन दे दिया है। तथापि, किसी भी ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे के लिए दो चरणों में क्लियरेंस अपेक्षित है यथा "साइट क्लियरेंस" और "सिद्धान्त-रूप में" अनुमोदन"। खम्मम में प्रस्तावित हवाईअड्डे के मामले में, साइट क्लियरेंस दिया जा चुका है और इसके आगे का विकास डीपीआर की प्रस्तुति, इसकी आर्थिक व्यवहार्यता और वित्तीय पूर्णता पर निर्भर करता है बशर्ते कि 'सिद्धान्त-रूप में' अनुमोदन प्राप्त हो।

*****